न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 130/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. मेघा पिता सवा जी डांगी, निवासी लोयरा, तहसील बड़गांव (मृतक के बजाय) :–

1/1. श्रीमती नन्दू बाई पुत्री मेघा जी डांगी पत्नी सवा जी डांगी, निवासी भुवाणा (डागलियों की मगरी), तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

2. लोगर पिता मेघा जी डांगी, नि0 लोयरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

3. सुखलाल पिता मेघा जी डांगी, नि.लोयरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

4. भंवरलाल पिता मेघा जी डांगी, नि. लोयरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..............अपीलान्टगण

बनाम

1. लाला पिता उदा जी डांगी, निवासी लोयरा, तहसील बड़गांव (मृतक के बजाय) :–

1/1. उमाराम पिता लाला जी डांगी, नि. लोयरा, तह. बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. श्रीमती तलछी बाई बेवा लाला जी डांगी, निवासी लोयरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. श्रीमती खुमाणी बाई पुत्री लाला जी डांगी, निवासी हाल मानुपरा, लखावली, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. श्रीमती ऊंकारी बाई पुत्री लाला जी डांगी, निवासी लोयरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/5. श्रीमती केसी बाई पुत्री लाला जी डांगी, निवासी पुला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/6. श्रीमती डाली बाई पुत्री लाला जी डांगी, निवासी सियालपुर, लखावली, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.............रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) गिर्वा
दिनांक 10.07.2017 प्र. सं. 46/13

———/———

उपस्थित (वक्तबहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री ओंकारलाल [illegible]भाषक रेस्पोन्डेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.03.23 12:36:55 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक 09–03–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट मृतक लाला द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लोयरा में वादी के खातेदारी एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 814 रकबा 0.0800 हैक्टर स्थित है, जिसके पड़ोस वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार हैं। इस आराजी पर वादी ने अपना बाड़ा बनाकर बाड़ व पत्थर की कोट बना रखी है, जिसमें 40 वर्षो से घास व गोबर इकट्टा करता है। वादी की उक्त भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नहीं है। वादी के बाड़े की पूर्व की ओर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का बाड़ा स्थित है, जिसका निकास उत्तर दिशा में है, जिससे वे आते–जाते हैं व मवेशी लाते ले जाते हैं, किन्तु दिनांक 05–01–2012 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी के बाड़े की तरफ जबरन नया गेट बिना किसी अधिकार के खोल दिया है तथा वादी के मना करने पर लड़ाई–झगड़ा करते हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 10–07–2017 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 14–08–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से वकील श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी पर अपीलान्टगण का कब्जा अपने बाप–दादाओं के समय से यानि 50 वर्षो से भी अधिक समय से चला आ रहा है। इस आराजी से रेस्पोन्डेन्ट का कोई सम्बन्ध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को बिना सुने निर्णय पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का कथित निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा तनकियात कायम की जाकर दोनों पक्षों की साक्ष्य ली जाकर निर्णय किये जाने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने [illegible] नजीरें WLC (UC) 1997 Page

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:36:55 IST
Reason: SelfAttested

676, RRT 2016-17 (Supp.) Page 566, RRT 2018 (2) Page 864, RRT 2018 (1) Page 582 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 अनुसार वादी/रेस्पोन्डेन्ट विवादित आराजी नंबर 814 रकबा 0.0400 के खातेदार दर्ज हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी को खातेदार होने के कारण ही उसके पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य भिन्न होने से कारण इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं।

अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–07–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 09–03–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:36:55 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

मेघा के बजाय श्रीमती नन्दू बाई, पुत्री मेघाजी पत्नी सवाजी डांगी, नि. भुवाणा (डागलियों की मगरी) त. बड़गांव, जि. उदयपुर व अन्य

बनाम

लाला के बजाय उमाराम पिता लाला जी डांगी, निवासी लोयरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....**130/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**सहायक कलक्टर**.....
.....**(फास्ट ट्रेक गिर्वा)**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**10**.....माह.....**07**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**.....माह.....**03**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री ओंकारलाल डांगी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–07–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**03**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:36:55 IST
Reason: SelfAttested